



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकाोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 1195 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक 27.11.2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के कि०मी० 0.00 (देवलामल्ला) से कि०मी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों के प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/20099/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में ई०डी०एस० के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति	प्राप्त आपत्ति निराकरण की जाँच के पश्चात् लगायी गयी कमियाँ	कमियों का निराकरण
1	The digital map of area proposed for CA is provided in Google map which does not serve the purpose the state Govt. may provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon (shp) closed file.	Digital map of area proposed for CA की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	Digital map में proposed CA की area को प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 36 D, 36E) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक - 1)
2	The date of FRA certificate is not properly uploaded along with all annexure viz district level committee, sub divisional level committee proceeding alignment for all villages through which the proposed alignment is passing in online part I. the state Govt. may upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in column K of part I.	FRA certificate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	FRA की सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र 23, 23.1, 23.2, 23.3, 30 व 30.1 में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक - 2)

3	The non encumbrance certificate regarding the area proposed for CA is not correctly uploaded in online part I column L (iv) (h) as the name of the area proposed for CA is not shown in the certificate.	The non encumbrance certificate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	CA हेतु भूमि मटियानी के अन्तर्गत पटवारी क्षेत्र सीला-4 के ग्राम जुवा में प्रस्तावित की गयी है, जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 35 में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक - 3)
4	In the suitability certificate uploaded in online part II the name of the area marked for CA is not mentioned in the certificate.	Suitability certificate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सूचना part II में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक - 4)
5	In the district profile the CA stipulation against total land diverted in the district is not commensurate with each other in general the area of CA is twice in extend of the area diverted the necessary correction/ clarification is required in this regard from the state Govt.	District profile की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	District profile की संशोधित सूचना अपलोड कर दी गयी है।
6	The hard copy of part I, II, III, IV and V duly signed/authenticated by the competent authority may be furnished to this office same as on online web portal.	part I, II, III authenticated original hard copy तीन मूल प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को भेजा जा सके।	part I, II, III authenticated original hard copy प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक - 5)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवनदीय
(कुन्दन कुमार)
प्रमाणाय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

पंजीकृत

दूरभाष नं० 05942-235572 फैक्स नं० 05942-233549 ई-मेल-eeepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- 3507/29 नं०
सेवा में,

दिनांक :- 5 / 11 / 2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी ।

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देबलामल्ला) से किमी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 53 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/20099/2016) के सम्बन्ध में।

आपका पत्रांक 909/12-। हल्द्वानी दिनांक 20.10.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 570/29एम०जी० दिनांक 06.03.2020 आख्या मय संलग्नक हार्डप्रतियों सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सीधे प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों की छाया प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। तथा बिन्दु संख्या-6 के कम पार्ट-I, II, III, IV के प्रपत्रों हार्ड प्रतियों तथा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की KML Fill Form A. Part-1 के पैरा L(iv) (C) में ऑन लाईन अपलोड करते हुए आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि इस मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

सर

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 2646
क्रम सं० 12-1
पंजीकृत सं०
दिनांक 23-11-2020

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

पत्रांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 5 / 11 / 2020

सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को सूचनाार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी, वन प्रभाग हल्द्वानी में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

जिवा रेकरेन्स मैप- नानीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी 0.00 (देवलमल्ला) से किमी 2 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुवर्गीकरण/सुकी नदी पर कोऊदे का निर्माण कार्य। कालिबुरक सुवर्गीकरण स्थल-घाम-जुआ पट्टी सीला 4th परगना गंगारसलाण कोटदार पीडी गढ़वाल।



Legend

- GPS_Points
- Proposed_Plantation

ScaleBar

0.00 0.15 0.30 0.45 0.60

km

ID	Longitude	Latitude
1	78°34'17.78"E	29°49'24.16"N
2	78°34'16.52"E	29°49'25.43"N
3	78°34'20.21"E	29°49'28.80"N
4	78°34'23.72"E	29°49'30.38"N
5	78°34'27.25"E	29°49'28.81"N
6	78°34'28.00"E	29°49'26.82"N
7	78°34'26.87"E	29°49'25.51"N
8	78°34'22.88"E	29°49'26.30"N

Assistant Engineer
Provincial District
PWD Nainital

Executive Engineer
Provincial District, P.W.D.
NAINITAL

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील
पी.डी. गढ़वाल, जम्मू एवं कश्मीर

तहसीलदार
क्षेत्र (नवागढ़)
बाराबंकी

उप निरीक्षक
क्षेत्र (नवागढ़)

उप प्रभारी सहायक
पु. नि. वि. विभाग
नैनीताल

उप प्रभारी सहायक
पु. नि. वि. विभाग
नैनीताल

उप निरीक्षक
क्षेत्र (नवागढ़)

डिजिटल मैप:- माननीय मुख्यमन्त्री छोरणा सं० ३१७/२०१३ को अन्तर्गत अन्वयद नदीताल को विकासकायक हस्तानी में विजयपुर पञ्चायतको ०००० (दशसहस्र) ०० किमी/२००० एक माग को माटर मार्ग में परिवर्तित करत हुने मार्ग का सुधारिकरण/सुखी नदी पर कोजो का निर्माण कार्य शान्तिपुरका पुर्णवर्णन स्थल राम जुआ पट्टी सीला ४ परमाणु गंगातलाय कोटवाल पोडी गढवाल।



Legend	GE
Proposed Road	—
Alternate Road	—

Provincial Division
 P.W.D. Nainital
 राजस्व, खेती, वन, पशु, मत्स्य, श्रम, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शान्ति, न्याय, विधान, आदि।
 तहसील - विधान, आदि।
 तहसील - विधान, आदि।

Provincial Division
 P.W.D. Nainital
 राजस्व, खेती, वन, पशु, मत्स्य, श्रम, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शान्ति, न्याय, विधान, आदि।
 तहसील - विधान, आदि।
 तहसील - विधान, आदि।

निर्देश- १५३८६ (संलग्नक - १)

२

संलग्नक-1 (संलग्नक-1) 5
 दिनांक 17/07/2013 के अनुसार जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में
 विद्यमान पारिवारिक वन को जिनके 0.30 (तीसवां) से जिनके 2 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का
 सुवर्धन/सुखी नदी पर बीजों का निर्माण करें। हलियाक कुल्लियां स्थल-जान-कुमा पट्टी सीता 4th परगना गंगासल्लान
 मोटार मार्ग पर।



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range Boundary
- Division Boundary

Scale Bar
 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 km

Assistant Engineer
 Provincial Division, P.W.D.
 NAINITAL.

संलग्नक-1
 17/07/2013

उप प्रभारी
 जिलाधिकारी
 नैनीताल

प्रारूप-30

(संलग्न अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector--Nainital

No---

Dated--07/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.530 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PD PWD Nainital (name of user agency) for C/O Vijaypur Pahadpani Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Vijaypur village (s) in Haldwani tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.53 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.1
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)**

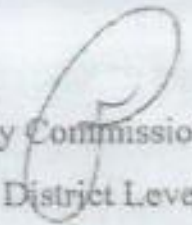
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S deputy commissioner, Distt. Nainital on dated 07/05/2015 at time 3.00 P.M. at Nainital in which application claiming rights in 1.70 KM area measuring 1.53 hect for the construction of Vijaypur Pahadpani Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 07/05/2015


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र-23

[illegible]

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील- लावकुआँ जिला नैनीताल।

अवापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत निम्नलिखित पहाड़, प्राणी मणि या बुधमी का रूप
विमाण परियोजना के निर्माण हेतु (1:530 हे० आरक्षित वन भूमि,
सिविल सोयम भूमि... हे०, वन पंचायत भूमि... हे०) अर्थात् कुल 1:530 हे० वन भूमि
का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभाग, संख्या के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~विजयपुर (राजस्थान)~~ दि० 16-12-2014 को सन्तुल्य ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना कि निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिनामपुर (देवतामन्) के ग्राम वासियों को उक्त वनभूमि 1.530 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पृष्ठ सं. ४०
आदि सं. १००

श्रीमन्महादेव विद्यालयात् १९५५
वि० सं० १९५५/५६

४० बाल्म, प्रधान

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की बिजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.2

प्रस्ताव का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (दिल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधार/पुनः निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण (नास्तनिक ल. 1.75 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति, _____

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (दिल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधार/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु शुल्क हे0 वन प्रपायत भूमि अर्थात् कुल 1.575 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार आचार्य उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री पंकज कुमार आचार्य उप जिलाधिकारी अध्यक्ष

2. श्री प्रकाश अग्रवाल उप प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य

3. श्री रविवर राम त्रिपाठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

4. श्री श्रीमती वसिष्ठा बिष्ट बीबीसीओ से सदस्य

उपखण्ड समितियों द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उन जिलाबिधायकों की अनुमति से बैठक को कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि :-

महा मुकदमे की घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में बिजयपुर-पहाड़पानी रोड मार्ग के किमी: 0.00 (देवत सतौ) से किमी: 1.70 तक भू-माली को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए ग्राम का सुधार/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.50 हे. घन भूमि प्रांतीय सरकार स्तरीय विधि नैनीताल प्रगोष्ठा एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किन्ने जाने हेतु प्रस्ताव मानवीय सदस्यों के साथ रखा गया। जन सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मानवीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपलब्ध नैनीताल पश्चिम के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री योजना संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल को विकास खण्ड हल्द्वानी में बिजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (दोपल मल्ला) से किमी० 1.12 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधार/परिवर्णन/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर बांधों का निर्माण हेतु 1.53880 का भूमि में प्रांतीय खण्ड, सी०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सन्ध्या प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय पत्र अधिकांश सुनिधि
सदस्य Sub Divisional Magistrate
जनपद BALDWAN (Nainital)
Uttarakhand

राजस्व वृद्धि निरीक्षक
(मिदानी)
दोष २
तारीख १४/८

लक्ष्मीनारायण

Dr. J. K. Singh
Dr. J. K. Singh
Dr. J. K. Singh


 वा. प्रभाकर दत्त शास्त्री (वा.प्र.)
 पदवीधारी वन मन्त्रालय

सुदम्प शीत पञ्चायत
देवता मन्त्री, निवा. बंगला
वि. ४०, सुहासो (विनीतार)

(संलग्नक - 2)

दिनांक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ज्ञान पंचायत विजयपुर (देवला रोडवा)

[illegible]

16-12-2014
10 नवंबर 2014


श्री. स. क. सिंह,
आचार्य, तंजवतूर विश्वविद्यालय, तंजवतूर-६१२ ००८

(17)

प्रस्तावित लैंड ग्रूमि.

नॉन जेड २. (श्रेणी १ (३) (कृषि योग्य नैसर्गिक)

ग्राम - जुवा

पहा - सीला 446

परगना - गैगासलाण

तहसील - कोटहर

जिल्हा - पोडी महाराष्ट्र

(उत्तराखण्ड)

कुल क्षेत्रफल - 280.453 हे.

मध्ये - 240.876 हे.

(10^4)

4974	0.004	4.974	0.004
5122	0.207	5.122	0.207
5149	0.194	5.149	0.194
5151	0.110	5.151	0.110
5153	1.001	5.153	1.001
5155	0.210	5.155	0.210
5157	0.000	5.157	0.000
(ग) स्वामी चरगाह और अन्य चरगाह माली अमे			
(ख) ला काने को वार के ठीक			
(घ) अमा कुचि गेज वजर अमे			
20/79	वजर	1 1.63	4.12
1 विजयपुर पहाडपानीका	7 2.577	3.06	0.00
15	0.023		
20	0.028		
24	0.025		
30	0.025		
33	0.02m		
35	0.025		
38	5.018	5.66	
41	0.048	5.120	0.00
53	0.016		
56	0.028		
58	0.000		

14

तहसील कोरहा
पिंडी गडगाल (तलाशखण्ड)

प्रपत्र-36

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी० 0.000 (देवलमल्ला) से किमी० 2.000 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुये मार्ग का सुधारीकरण/सूखी नदी पर कौजवे का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वन क्षेत्र मटियाली के अन्तर्गत पटवारी क्षेत्र सीला -4 के ग्राम जुवा की सिविल सोयम भूमि (नॉन० जैड० ए०) का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अमानि

जु० इ०

स० अ०

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL

वन ३.००० हे०
रैजिस्ट्रारपल्ली रज
मु०स० वन प्रभाग
लैन्सडोन

प्रभारी वनाधिकारी
प्रभाग वन प्रभाग
लैन्सडोन

उप प्रभारी वनाधिकारी
मु०स० वन प्रभाग
लैन्सडोन

दि. 06.04.2014

(संलग्नक-5)

परीशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
घारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड डल्हानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/ परियोजना/रकम का संक्षिप्त
विवरण

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

ग) परियोजना की लागत
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य

ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

च) संजमान जिनके पैदा होने की
समाधान है

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने: नहीं।
के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
संग्रहण और या दण्ड स्वल्प प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की दायित्वता
(व्यवस्था संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 31 /2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड डल्हानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

: संलग्न है।

: रु 19.41 लाख (पच्चीस लाख)

: मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु।

: आवश्यकता नहीं है।

: मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 100 लोगों

: को रोजगार प्राप्त होगा।

: नहीं।

: नहीं।

: नहीं।

: हां

: संलग्न है।

: संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)

अधिशाली अनियन्ता

प्रयोक्ता एजेन्सी

नैनीताल

नैनीताल

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्रति की तारीख के साथ मोटर अधिकारी द्वारा भरी जाएगी)

नैनीताल

नैनीताल

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा मरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7- परियोजना/स्कीम का स्थान - ना0 मुख्यमंत्री धोषणा 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवला मत्ता) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटरमार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुन. निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (प्रस्तावित ल0-1.70 किमी0)

- | | | |
|--|---|--|
| i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii. जिला | - | नैनीताल |
| iii. वन प्रभाग | - | हल्द्वानी वन प्रभाग |
| iv. वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 1.53 है0 (आरक्षित भूमि) |
| v. वन की कानूनी स्थिति | - | आरक्षित |
| vi. हरियाली का घनत्व | - | 0.00 - 0.10 |
| vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न है |
| viii. मू. क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर सूखी नदी/आरक्षित वन क्षेत्र में है। मू. क्षरण की सम्भावना न्यूनतम है। वन क्षेत्र से लगा हुआ है। |
| ix. वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र भूकाला राजि के कालूखेड़ा क0सं0-1 व रातीघाट क0सं0-5 में स्थित है। |
| x. क्या काम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हा. क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | - | नहीं है |
| xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - | नहीं है |
| xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/धार्मिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | |
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में - प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- मार्ग निर्माण में इस वन प्रभाग में 1700 मी0 लम्बाई व चौड़ाई 9 मी0 भू-भाग कुल 1.53 है0 वन भूमि का प्रयोग मार्ग सुधारीकरण/काजवे निर्माण हेतु न्यूनतम मांग है।

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- I. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, मू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्ड का आकार सिविल सोयम भूमि (बैतालघाट ब्लाक) काढां ग्राम। संलग्न है।
 - II. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
 - III. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
 - IV. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न है।
 1. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
 - 1.2 प्रभाग/जिला प्रोफाइल
 - i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल) 4251 वर्ग कि०मी०
 1. जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र। 8 लक्ष्मणी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है।
1- जनपद नैनीताल- 47808.62 है०
2- जनपद चम्पावत- 15851.38 है०
कुल योग- 63460.00 है०
 - iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 30 मामलों व 367.184 है०
 - iv. प्रतिकूल वनीकरण

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित -
वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि - 90.972 हे० व 2 रो० कि०मी० इस वन
प्रभाग में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया
है।
- प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 90.972 हे० व 2 कि०मी०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर -
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव - संस्तुति सहित अग्रसारित
अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की
विशेष सिफारिश।
14. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की टिप्पणी- उक्त क्षेत्र गन्धीर वन्य जीव
अभयारण्य के प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन की परिधि से बाहर रखा गया है। यह क्षेत्र वास्तव में
वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। अतः वन्य जीव संरक्षण एवं जीव विविधता हेतु परियोजना बनाकर संलग्न
की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रु० 100.00 लाख
की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। वन एवं वन्य संरक्षण हेतु हल्द्वानी वन
प्रभाग, द्वारा की गयी योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 08.08.2016

स्थान :- हल्द्वानी।

हस्ताक्षर

नाम - (डॉ० सी० एस० सगवाल)

सरकारी मोहर- **प्रभागीय वनाधिकारी**
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी,

मां मुखमंभी होखला सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद-मेरठ के विकास रकड़ हल्द्वानी के बिजयपुर-पहाडगानी पैतृक जमीन के कि०मी० 0.00 (देखलमहल) से कि०मी० 0.200 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु मार्ग का लुप्तप्राय/पुनर्निर्माण शुर्ती नहीं पर खोजने का निर्माण (प्रयत्न करने) (वाटरप्रूफिंग) 1.70 कि०मी० (सूचक जेनरल - 1.520 हे० FPI/AT/REGD/2009/3/46 प्रपत्र- 22

भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. क्या जमीन की वन भूमि आवधिक की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निर्धारण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निर्धारण की तारीख और किन्हीं नये प्रमाणों का निर्धारण नोट कि क्या में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-IV में दी गयी सूचना और वन प्रशासन के सुझावों से सहमत है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति पर आवधिक के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत जानकारी के साथ विवरण प्रस्तुत करें।

नहीं।

हाँ।

प्रस्तावित वन संरक्षक द्वारा हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के रियाई अनुकर संरक्षक को जारी है।

दिनांक 12/08/2016

स्थान हल्द्वानी

उपस्थित अधिकारी
नाम लिखें वृत्तान्त
हस्ताक्षर, दिनांक

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद- जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी 0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी 0 2.00 तक मार्ग मोटरमार्ग में परिवर्तित करके उस का सुराधीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु-1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सकारिणों। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 1.53 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी तथा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी 0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी 0 2.00 तक मार्ग मोटरमार्ग में परिवर्तित करके उस का सुराधीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्पा नावसे)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 06 / 09 / 2016

स्थान : देहरादून